

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

दिनांक	वकील :-	वकील :-	विविध संदर्भ
10.06.2024	श्री	आदेश पत्रक कार्यवाही एवं आदेश	
25-7-24	गौठासीन अधिकारी <u>राजेश कुमार मिश्रा</u> में रहने से पूर्ववत दिनांक 17-9-24 को प्रस्तुत की।		
17-9-24	गौठासीन अधिकारी <u>राजेश कुमार मिश्रा</u> में रहने से पूर्ववत दिनांक 5-11-24 को प्रस्तुत की।		
05/11/24	पत्रावली पेश है। वकील अभी उपर। अपील के नोट के अभाव में वकील अभी के नोट के अभाव में वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं। वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं। वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं। वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं।		

दिनांक/प्रार्थना-पत्र सं.
/24

धारा अंतर्गत
212 RTA

ग्राम
कोटडीसूण्डा

तहसील
बारां

वादी
राजेन्द्र कुमार

वाद शीर्षक
बनाम

प्रतिवादी
नवलकिशोर

वकील:-

विविध संदर्भ

वकील :-

श्री

आदेश पत्रक
कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक
10.06.2024

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.7.2027 को पेश हो।

दिनांक
25-7-24

गौठासीन अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा
में रहने से पूर्ववत दिनांक 17-9-24
को प्रस्तुत की।

राजेश
उप खण्ड अधिकारी बारां

दिनांक
17-9-24

गौठासीन अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा
में रहने से पूर्ववत दिनांक 5-11-24
को प्रस्तुत की।

राजेश
उप खण्ड अधिकारी बारां

दिनांक
05/11/24

पत्रावली पेश है। वकील अभी उपर। अपील के नोट के अभाव में वकील अभी के नोट के अभाव में वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं। वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं। वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं। वकील को नोट पेश करने में देर लगे हैं।

(Signature)